प्रा/८५ (137)

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल:bseapatna@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की मतदाता सूची से संबंधित त्रुटियों के निवारण के संबंध में।

प्राधिकार के पत्रांक– 1001 दिनांक 11.07.2019, जो प्राधिकार के वेबसाईट **www.bsea.bih.nic.in** पर उपलब्ध है, द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित एवं संसूचित किया जा चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 22.07.2019 को होगा। प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए अथवा किसी प्रविष्टि से संबंधित संशोधन के लिए प्राधिकार द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है, जो निम्नवत् है:–

- मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रपत्र– एम 3 निर्धारित है। वैसे व्यक्ति, जो अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने अथवा किसी का नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, वे प्रपत्र– एम 3 में सभी साक्ष्यों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
- मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रपत्र– एम 4 निर्धारित है। वैसे व्यक्ति, जो अपने से जुड़े किसी प्रविष्टि में सुधार कराना चाहते हैं, वे प्रपत्र– एम 4 में सभी साक्ष्य के साथ आपत्ति दे सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों प्रपत्र निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) के कार्यालय एवं प्राधिकार के वेबसाईट **www.bsea.bih.nic.in** पर उपलब्ध है। **एक प्रपत्र में एक ही व्यक्ति के संबंध में दावा/ आपत्ति दायर की जा सकती है।** अतः सभी मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि दिनांक 22.07.2019 को अपने प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर लेंगे। प्रारूप मतदाता सूची में सुधार हेतु उपर्युक्त विहित प्रपत्र में दिनांक 22.07.2019 से 01.08.2019 तक की अवधि में आपत्ति दर्ज कराएँगे। दर्ज आपत्ति पर निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) द्वारा आवेदक की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित किया जायेगा। आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2019 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। इस अवधि में प्राधिकार में की जाने वाली शिकायत विचारणीय नहीं होगी।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,
पटना

NIC